न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या जीसीएमएस नम्बर– 2025/441

1. गिरधारी पुत्र चुन्नीलाल,
2. बुधेरमल पुत्र चुन्नीलाल,
3. भंवरलाल पुत्र चुन्नीलाल,

समस्त जाति कुम्हार, निवासी वार्ड नम्बर 25 पुराना, लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर।

– अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर।
2. भू–अभिलेख निरीक्षक वृत लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर।

– रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सीकर के निर्णय दिनांक 10.02.2023 अपील संख्या 23/2022 उनवानी गिरधारी व अन्य बनाम तहसीलदार एवं तहसीलदार लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर के निर्णय दिनांक 27.07.2022 प्रकरण संख्या 07/2022 उनवान राजस्थान सरकार बनाम गिरधारी में आदेश पारित किये गये हैं।

उपस्थित :–

1. श्री उमेश पुरोहित, वकील अपीलान्ट्स।
2. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांक :– 15.05.2026

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10.02.2023 एवं तहसीलदार लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर के निर्णय दिनांक 27.07.2022 के खिलाफ प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम के साथ दिनांक 01.05.2023 को प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर के निर्णय दिनांक 27.07.2022 द्वारा अपीलान्ट्स के विरूद्ध संवत 2079 में वाके ग्राम लक्ष्मणगढ़ के आराजी खसरा नम्बर 2686/1301 कुल रकबा 0.0656 है0 किस्म गै0 मु0 रास्ता की भूमि पर फसल खरीफ के दौरान बाड लगाकर अतिक्रमण करने पर 50 गुणा पैनल्टी कायमी एवं बेदखली की कार्यवाही किये जाने के आदेश पारित कर दिये। जिससे व्यथित होकर अपीलांट्स ने उक्त निर्णय के विरूद्ध अपील अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर के यहां पेश की गई, जो अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10.02.2023 द्वारा खारिज कर दिया गया।
3. तहसीलदार लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर के निर्णय दिनांक 27.07.2022 तथा अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10.02.2023 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन निर्णय तहसीलदार लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर दिनांक 27.07.2022 तथा अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10.02.2023 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।

अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया गया कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10.02.2023 विधि, विधान, न्याय एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने की वजह से अपास्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण को सही रूप से न समझते हुए अपना निर्णय देने मे भूल की है इसलिए अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। कृषि भूमि खसरा नं. 1301 जो कि अपीलान्ट की खातेदारी की भूमि थी, एवं उक्त भूमि के दक्षिण ओर भूमि ख0न0 1300 जिसके खातेदार ओमप्रकाश, ईश्वरराम, महावीर प्रसाद है, ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर के यहां धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एक आवेदन बउनवानी ओमप्रकाश बनाम गिरधारी प्रकरण संख्या 76/2021 प्रस्तुत किया, रास्ता का प्रस्ताव चाहा गया जिसमे रास्ते के बदले भूमि दी जाने का प्रस्ताव भेजा था, तथा प्रस्तावित रास्ता चालू नही होने एवं अधिक दूरी का होते हुए भी उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ ने दिनांक 28.09.2021 को रास्ता कटान का आदेश पारित कर दिया, जिसके विरूद्ध न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सीकर के न्यायालय में दिनांक 05.10.2021 को अपील संख्या 76/2021 बउनवानी गिरधारी बनाम ओमप्रकाश प्रस्तुत कर दी, जिसमे अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब हुआ जैसे ही पत्रावली सुनवाई में आई तो प्रतिपक्षी अपील की सुनवाई न करने का आवेदन प्रस्तुत कर दिया एवं बाद में प्रकरण को टालने के लिए माननीय राजस्व मण्डल अजमेर मे मुन्तकीली का हेतु कार्यवाही प्रस्तुत कर दी, प्रतिपक्षी ने अधीनस्थ तहसीलदार को अपने प्रभाव मे लेकर अपील के विचारण के दौरान ही बिना किसी इजराय की कार्यवाही किये ही, रास्ता राजस्व रिकार्ड में गलत रूप से कटान करवाया लिया तथा बाद मे हल्का पटवारी से कार्यवाही करवाकर गलत रूप से अपीलान्ट के विरूद्ध धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत साजसी कार्यवाही करवायी है।

अधीनस्थ तहसीलदार ने जो अपीलाण्ट को नोटिस दिया उसमे भूमि खसरा नं. 2686/1301 रकबा 0.0656 पर 2 वर्ष से अतिक्रमण बताया है जबकि पूर्व में उक्त भूमि अपीलाण्ट की खातेदारी की भूमि थी जिसकी बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया के मामला विचाराधीन होते हुए भी गै० मु० रास्ता बता अपीलाण्ट को उसकी ही भूमि से गलत तरीके से बेदखल करवाने का जो निर्णय पारित किया है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने भी कोई गौर नही कर मैकेनिकल तरीके से अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो अपास्त होने योग्य है। भूमि खसरा नं. 2686/1301 रकबा 0.0656 का न तो किसी भी प्रकार का अपीलाण्ट्स को कोई मुआवजा इस पर मिला है तथा न ही भूमि रास्ते के मुआवजे के बदले भूमि प्राप्त हुई है, जबकि बिना मुआवजा के भूमि को अवाप्त कर कब्जा लेने का कोई अधिकार भी प्राप्त नही है, इस पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने आर आर टी 2020 प्रथम पेज 425 विद्या देवी बनाम स्टैट मे बताया है कि बिना सम्यक विधिक प्रक्रिया के राज्य एक व्यक्ति को उसकी सम्पत्ति से बेदखल नही कर सकता है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस पर गौर कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो अपास्त होने योग्य है। भूमि खसरा नं. 2686/1301 रकबा 0.0656 हेक्टर पर अपीलान्ट का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है, अपीलान्ट ने किसी भी प्रकार का कोई नया अतिक्रमण नहीं किया है तथा उक्त भूमि में सम्बन्धित कार्यवाही राजस्व अपील अधिकारी सीकर के न्यायालय में सबज्यूडिस है जिसके चलते धारा 91 एलआर एक्ट की कार्यवाही कतई चलने योग्य नहीं है। इसलिए भी निर्णय जैर अपील अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त होने योग्य है। प्रश्नगत भूमि में अपीलान्ट ने फसल काश्त कर रखी है तथा उक्त मामला धारा 91 के अन्तर्गत नहीं आता है बल्कि धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के आदेश की पालना के तहत है लेकिन धारा 251ए राजस्थान

अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर

काश्तकारी अधिनियम की पत्रावली तलब होने पर इजराय की कार्यवाही होना सम्भव नहीं होने पर भी प्रतिपक्षी ने हल्का पटवारी से साजकर गलत कार्यवाही प्रस्तुत करवाकर निर्णय पारित करवाया है जो जैर अपील निरस्त होने योग्य हैं।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 184 के तहत निष्पादित की कार्यवाही 15 अप्रेल से पूर्व एवं 30 जून के बाद निष्पादन की कार्यवाही किये जाने की मनाही है। लेकिन फिर भी उक्त आज्ञापक कानूनी प्रावधानों के विपरीत निर्णय पारित किया है जो जैर अपील निरस्त होने योग्य है। अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में श्री यशपाल वर्मा को पैरवी हेतु अपना अधिवक्ता नियुक्त किया था, जिसने वकालतनामा प्रस्तुत कर दिया था एवं जवाब हेतु अवसर लेने हेतु लिखित में आवेदन प्रस्तुत किया था, लेकिन न तो वकालतनामा का हवाला दिया न ही आवेदन का हवाला दिया बल्कि एकपक्षीय कार्यवाही कर निर्णय जैर अपील पारित किया है जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विरूद्ध होने से जैर अपील निरस्त होने योग्य है। अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10.02.2023 का है जिसकी अपील की अवधि दिनांक 09.04.2023 तक है, लेकिन अपीलाण्ट गांव के भोले भाले व्यक्ति है जो कमाने खाने बाहर गए हुए थे उनका अपने अधिवक्ता से संपर्क नही हो सका उसके बाद दिनांक 25.04.2023 को अपने अधिवक्ता से सम्पर्क करने पर उक्त अपीलाधीन निर्णय का पता चला जिस पर अविलम्ब ही नकल के लिए आवेदन प्रस्तुत कर दिया नकल दिनांक 26.04.2023 को प्राप्त होने पर अविलम्ब ही अपील प्रस्तुत की जा रही है जो जानकारी के दिन से अन्दर मियाद प्रस्तुत है। अतः अपील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन हैं कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर निर्णय दिनांक 10.02.2023 अपील संख्या 23/2022 एवं न्यायालय तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.7.2022 मुकदमा नम्बर 07/2022 उनवानी पटवार हल्का बनाम गिरधारी को खारिज फरमाया जावे।

6. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलान्ट्स द्वारा संवत 2079 में वाके ग्राम लक्ष्मणगढ़ के आराजी खसरा नम्बर 2686/1301 कुल रकबा 0.0656 है0 किस्म गै0 मु0 रास्ता की भूमि पर फसल खरीफ के दौरान बाड लगाकर अतिक्रमण किया गया है। अपीलान्ट्स अतिक्रमी के विरूद्ध भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलान्ट्स अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से दिनांक 27.07.2022 को 50 गुणा पैनल्टी कायमी एवं बेदखली की कार्यवाही किये जाने के दण्ड से दण्डित किया गया है। अपीलान्ट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर में अपील दायर करने पर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर ने अपीलान्ट्स की अपील अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.02.2023 द्वारा खारिज कर दी गई। जिससे जाहिर होता है कि अपीलान्ट्स द्वारा अतिक्रमण किया हुआ है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज के अनुसार अतिक्रमण किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया है, जो विधिवत प्रतीत होता है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है, जो पूर्णतया विधि अनुसार है। अतः अपील अपीलान्ट्स में कोई सार नहीं होने से खारिज की जावे।

अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर

7. हमने प्रकरण के अभिलेखों का अवलोकन किया। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलान्ट्स को अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 25.04.2023 को होते ही नकल हेतु आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में पेश करना अपने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित किया गया है। अपील जानकारी से अन्दर मियाद पेश की गई है। अपीलान्ट

द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम तथा प्रार्थना पत्र के संबंध में प्रस्तुत शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुये माननीय उच्चतर न्यायालय द्वारा विलम्ब के प्रकरणों में नरमी का रूख अपनाते हुये गुणावगुण के आधार पर निर्णित करने बाबत पारित नजीरों के आलोक में प्रकरण में नरमी का रूख अपनाते हुये, अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाकर विलम्ब को कण्डोन किया जाता है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ की पत्रावली में संलग्न पटवारी हल्का एवं भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा तैयार मौका पर्चा रिपोर्ट अनुसार अपीलान्ट्स द्वारा संवत 2079 में वाके ग्राम लक्ष्मणगढ़ के आराजी खसरा नम्बर 2686/1301 कुल रकबा 0.0656 है0 किस्म गै0 मु0 रास्ता की भूमि पर फसल खरीफ के दौरान बाड़ लगाकर अतिक्रमण किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर द्वारा अपीलांट्स को भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया है तथा अपीलान्ट्स अतिक्रमी के विरूद्ध कार्यवाही कर अपीलान्ट्स अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से दिनांक 27.07.2022 को 50 गुणा पैनल्टी कायमी एवं बेदखली की कार्यवाही किये जाने के दण्ड से दण्डित करते हुए निर्णय पारित किया गया।

तहसीलदार द्वारा किये गये निर्णय के विरूद्व अपीलान्ट द्वारा अपील किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10.02.2023 में यह माना है कि अपीलान्ट्स द्वारा गैर मुमकिन रास्ता की भूमि पर अतिक्रमण किया गया है जिसे वैध नहीं ठहराया जा सकता है। चूंकि भूमि की किस्म गै0मु0 रास्ता है एवं गैर मुमकिन रास्ता की भूमि पर बाड़ लगाकर अतिक्रमण करने का अधिकार किसी को भी प्रदत्त नहीं है और यह कृत्य दण्डनीय है। ऐसे में गै0 मु0 रास्ता की भूमि पर अतिक्रमण करने की प्रवृति को रोकने एवं अंकुश लगाने के मद्देनजर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित अपीलाधीन आदेशों में किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। अपीलार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय या न्यायालय हाजा के समक्ष ऐसा कोई साक्ष्य सबूत, तथ्य या दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे अपीलार्थीगण गै0 मु0 रास्ता की भूमि पर अतिक्रमी साबित नहीं होता है। इसलिये अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10.02.2023 एवं अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर द्वारा जारी अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27.07.2022 को यथावत रखा जाना न्यायोचित है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण की अपील सारहीन व बलहीन होने से खारिज योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10.02.2023 एवं अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर द्वारा जारी अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27.07.2022 को यथावत रखा जाता है।

(दीप्ति कछवाहा)
अति0 संभागीय आयुक्त
अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 15.05.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर
अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर